

भारत सरकार  
वित्त मंत्रालय  
लोक उद्यम विभाग

लोक उद्यम भवन,  
ब्लॉक सं. 14, सीजीओ कॉम्प्लेक्स,  
लोधी रोड, नई दिल्ली-110003  
दिनांक: 22 जुलाई, 2024

### कार्यालय ज्ञापन

**विषय:-** केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसईज़) में असंघबद्ध पर्यवेक्षकों सहित बोर्ड स्तर के और बोर्ड स्तर से नीचे के पदों के - वेतनमान में दिनांक 01.01.1997 से संशोधन - संशोधित दरों पर आईडीए का भुगतान संबंधी।

अधोहस्ताक्षरी को डीपीई के दिनांक 25.06.1999 के कार्यालय ज्ञापन के अनुबंध-III में नई डीए योजना का संदर्भ लेने का निदेश हुआ है, जिसमें सीपीएसईज़ के बोर्ड स्तर और बोर्ड स्तर से नीचे के कार्यपालकों और असंघबद्ध पर्यवेक्षकों को देय डीए की दरों का उल्लेख किया गया है। सीपीएसईज़ के कार्यपालकों और असंघबद्ध पर्यवेक्षकों को देय डीए की संशोधित दर दिनांक 01.07.2024 से 436.5% है।

2. डीए की उपरोक्त दरें अर्थात् 436.5% आईडीए कर्मचारियों के मामले में लागू होंगी, जिन्हें डीपीई के दिनांक 25.06.1999 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार संशोधित वेतनमान (1997) की अनुमति दी गई है।

3. भारत सरकार के सभी प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि वे अपनी ओर से आवश्यक कार्रवाई के लिए पूर्वगामी को अपने प्रशासनिक नियंत्रण के तहत सीपीएसईज़ के ध्यान में लाएं।

4. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(डॉ. पी.के. सिंह)

उप-सचिव भारत सरकार

सेवा में,

भारत सरकार के सभी प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग।

प्रतिलिपि प्रेषित :-

1. केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के मुख्य कार्यपालक।
2. प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों में वित्तीय सलाहकार।
3. व्यय विभाग, स्था.-II शाखा, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।
4. भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, 9 दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली।
5. राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, लोक उद्यम विभाग को इस अनुरोध के साथ कि इस कार्यालय ज्ञापन को लोक उद्यम विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाए।

(डॉ. पी.के. सिंह)

उप-सचिव भारत सरकार